राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

क्रमांक प. 2(2)ग्रावि/अनु.8/2015 जयपुर, दिनांक: - 9 JAN 2018

कार्यवाही विवरण

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में 18.12.2017 को ग्रामीण विकास के माध्यम से संचालित योजनाओं की समीक्षा हेतु समस्त जिलों के अधिशाषी अभियंता (अभियांत्रिकी) समीक्षा बैठक की गई। बैठक में उपस्थित अधिशाषी अभियंताओं की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

- बैठक के दौरान ग्रामीण विकास के सभी अनुभागों के प्रभारी अधिकारियों यथा श्री के.के. शर्मा, अधीक्षण अभियंता, (ग्रा.वि.), परियोजना निदेशक, एस.ए.पी.–I/II/एमई द्वारा योजनावार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई।
- शासन सचिव महोदय द्वारा समीक्षा के दौरान कम प्रगति वाले जिलों के अधिशाषी अभियंताओं को 15 दिवस की समय अवधि देते हुए प्रगति के सुधार हेतु कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।
- राज्य स्तरीय बैठक में बिना सक्षम अनुमति के अनुपस्थित रहे अधिशाषी अभियंताओं को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।
- वित्तीय वर्ष 2017–18 की 8 माह की अवधि पश्चात संतोषजनक प्रगति नहीं होने को शासन सचिव महोदय ने गम्भीरता से लिया तथा चालू वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही के प्रत्येक माह में 20% वित्तीय व्यय के लक्ष्य निर्धारित किये गये।
- शासन सचिव महोदय द्वारा अधिकतर आवास अपूर्ण रहने को गंभीरता लिया गया। राज विकास की गत समीक्षा बैठक के दौरान अति0 मुख्य सचिव महोदय द्वारा कार्यो को पूर्ण कराने हेतु दिये गये आश्वासन अनुरूप निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लक्ष्य प्राप्त नहीं होने पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा गंभीरता से कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये जाने के संबन्ध में अवगत कराया।
- निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हेतु समयबद्व कार्यवाही की जावे, इस हेतु लाभार्थियों की कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए जिसमें संबन्धित ग्राम सेवक एवं सरपंचों को आवश्यक रूप से भाग लेने बाबत् निर्देशित कराय जावें।
- अभियंताओं की समीक्षा बैठक हेतु केवल आवासीय योजनाओं के एजेण्डा जारी होने को गंभीरता से लिया गया तथा निर्देशित किया गया कि भविष्य में समीक्षा बैठक आदि के समस्त पत्र, एजेण्ड़ा एवं कार्यवाही विवरण परियोजना निदेशक (एमएण्ड़ई) द्वारा ही जारी किये जावें। सभी योजना प्रभारी अपने–अपने बिन्दु समय पर मो0 एवं मू0 अनुभाग को समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे।
- दिनांक 21–22 दिसम्बर, 2017 सभी जिला प्रभारियों को महात्मा गाँधी नरेगा गुड–गवर्नेंस एवं आवासीय योजनाओं की समीक्षा आवश्यक रूप से की जावें। इस आशय के निर्देश जारी किये जावें। संबन्धित प्रभारी को निर्धारित प्रारूप उपलब्ध करायेंगे।

01/01/18

- सी.एम. हैल्प–लाईन/सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज ऐसे प्रकरण जो स्तर–प्रथम एवं स्तर–द्वितीय पर निस्तारित होने वाले प्रकरण कार्यवाही के अभाव में स्तर–तृतीय पर अग्रेषित किये जा रहे है, इसको शासन सचिव महोदय ने गंभीरता से लिया हैं एवं प्रकरणों को नियत समयावधि में निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया गया हैं।

- जीजीजेवाई योजनान्तर्गत जिन जिलों द्वारा आवंटित राशि का उपयोग नहीं किया गया है, उन जिलों की राशि अन्य जिलों को हस्तान्तरित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
- ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तथ्यात्मक विवरण, ड्राफ्ट पैरा एवं सी.ए.जी. प्रतिवेदनों की अनुपालना जिला परिषदों द्वारा समय पर नहीं की जा रही हैं। इसे महालेखाकार कार्यालय द्वारा गंभीरता से लिया जाता हैं। अनुपालना नियत समयावधि में भिजवानें हेतु निर्देशित किया गया हैं।
- योजनाओं में गत वर्षो के बकाया यू.सी./सी.सी आगामी 7 दिवसों में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया हैं।
- निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला/पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना 24 जिलों में नहीं करने को शासन सचिव महोदय ने गंभीरता से लिया। गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला शीघ्र स्थापित करने हेतु निर्देशित किया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना

- आवासों को पूर्ण कराने में प्रतापगढ़ 7%, करौली 14%, डूंगरपुर 15%, बाडमेर 18%, राजसमन्द 19% ही प्रगति रही है।
- जैसलमेर, करौली, जालौर, बूंदी, डूंगरपुर जिलों द्वारा आवास पूर्ण होने पर भी क्रमशः 216, 93, 1012, 375, 1067 आवासों को awaassoft पर अपलोड नही कराया गया है, जिसे गम्भीरता से लिया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृत आवासों की प्रथम किश्त हस्तान्तरण के प्रकरण लम्बित है। राज्य के 5 जिलों करौली में 69%, राजसमन्द में 46%, दौसा 44%, चूरू 35% एवं डूंगरपुर में 30% आवासों के हस्तान्तरण लम्बित है।

  उक्त जिलों के अधिशाषी अभियंताओं को प्रगति सुधार हेतु नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया।

एस.ए.पी. –2

मगरा योजना

- पीडी खाते में बहुत अधिक नकद अवशेष राशि।
- योजनान्तर्गत दिनांक 07.12.2017 के अनुसार जिला भीलवाड़ा राशि 1783.41 लाख रूपये व जिला पाली राशि 1059.63 लाख रूपये पीडी खाते में अवशेष है, जिसे शीघ्र कम किया जावे।

07/12/18

मेवात योजना

- पीडी खाते में बहुत अधिक नकद अवशेष राशि।
- योजनान्तर्गत दिनांक 07.12.2017 के अनुसार जिला अलवर राशि 4948.00 लाख रूपये अवशेष अधिक है।

डांग योजना

- पीडी खाते में बहुत अधिक नकद अवशेष राशि।
- योजनान्तर्गत दिनांक 07.12.2017 के अनुसार जिला बारां राशि 1667.61 लाख रूपये, झालावाड राशि 1311.80 लाख रूपये एवं करौली राशि 1231.00 लाख रूपये अवशेष अधिक है।

बीएडीपी

- पीडी खाते में बहुत अधिक नकद अवशेष राशि।
- योजनान्तर्गत दिनांक 07.12.2017 के अनुसार जिला बाड़मेर राशि 5404.00 लाख रूपये, बीकानेर राशि 2892.28 लाख रूपये एवं जैसलमेर राशि 5555.48 लाख रूपय अवशेष अधिक है। उक्त जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अधिशाषी अभियंताओं से आधिक्य/अवशेष राशि को शीघ्र कम करने हेतु निर्देश दिये गये तथा इस अधिक अवशेष के कारण की सम्बंध में जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।
- भारत सरकार द्वारा स्मार्ट विलेज के रूप में बीएडीपी योजनान्तर्गत जिला श्रीगंगानगर के गांव 18 पी, बीकानेर के गांव 20 बीडी एवं बाड़मेर के गांव मिठडाउ को विकसित करने हेतु 3–3 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये गये है, परन्तु प्रगति रिपोर्ट अभी तक जिलों से अप्राप्त है।
- बीएडीपी योजना में 1000 से 3000 की आबादी वाले गावों हेतु जिला बीकानेर के 10–12 गांव, श्रीगंगानगर के 2 गांव एवं जैसलमेर के 8 गांवों के स्मार्ट विलेज प्रस्ताव अभी तक अप्राप्त है।

उक्त जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को प्रगति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

मो0 एवं मू0

गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना

- योजनान्तर्गत महालेखाकार, कार्यालय से प्राप्त थीमेटिक लेखा परीक्षा के ड्राफ्ट पैरा की अनुपालना जिला अलवर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर, द्वारा आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है।
- योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में जिला करौली, डूंगरपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, राजसमन्द, बूंदी, दौसा, कोटा, सीकर एवं उदयपुर द्वारा वित्तीय प्रगति 10% से भी कम है।

उक्त जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को प्रगति/अनुपालना रिपोर्ट से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

07.10.18

तथ्यात्मक विवरण

- महालेखाकार, कार्यालय से प्राप्त "सार्वजनिक निधियों को बैंक में जमा रखना" सम्बंधी विषय पर प्राप्त तथ्यात्मक विवरण की अनुपालना जिला अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, सीकर, भीलवाड़ा एवं कोटा द्वारा आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है।

पालना रिपोर्ट हेतु निर्देशित किया गया।

एस.ए.पी. –1

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

- योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में 26 जिलों द्वारा कुल अनुशंषित कार्यों में से 25 : से अधिक कार्यों की स्वीकृतियां विलम्ब से जारी की है। सर्वाधिक विलम्ब वाले जिले यथा करौली (91.67%), उदयपुर (80.11%), जैसलमेर (78.57%), चुरू (77.97%), बीकानेर (75%) है।
- योजनान्तर्गत भारत सरकार से जिला अलवर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, करौली–धौलपुर, कोटा संसदीय क्षेत्र के सांसद कोष की वर्ष 2014–15 से 2017–18 तक बकाया किश्ते प्राप्त नहीं की गई हैं। इस हेतु जिला स्तर से किश्त प्राप्ति हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाने तथा अनुशंषित कार्यो की समय पर शत–प्रतिशत स्वीकृति जारी करने हेतु निर्देशित किया गया।

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

- योजनान्तर्गत समस्त जिलों द्वारा कुल अनुशंषित कार्यों में से 25% से भी अधिक कार्यों की स्वीकृतियां विलम्ब से जारी की है। सर्वाधिक विलम्ब वाले जिले यथा करौली (97. 42%), बांसवाड़ा (94.62%), उदयपुर (89.81%), राजसमंद (89.95%), हनुमानगढ (87. 86%) है।
- वर्ष 2017–18 में कुल 14605 कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृतियों के विरूद्ध 4197 कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं की गई है। जिला **जोधपुर (436), दौसा (375), जयपुर(348), उदयपुर (288) एवं सवाई माधोपुर (223)** द्वारा वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं की गयी है।

अनुशंषित कार्यो की समय पर शत–: स्वीकृति जारी करने हेतु निर्देशित किया गया ।

स्मार्ट विलेज योजना

- मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा स्मार्ट विलेज की प्रगति की चाही गई सूचना 4 जिलों यथा नागौर, सीकर, राजसमन्द एवं डूंगरपुर से प्राप्त नहीं हुई है।
- कुछ जिलों द्वारा जिला स्तर पर स्मार्ट विलेज योजना का कार्य अधिशाषी अभियन्ता (नरेगा, सिंचाई) एवं सहायक अभियन्ता (सीडी) अथवा पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा संपादित एवं मोनिटरिंग की जा रही है। श्रीमान शासन सचिव महोदय के निर्देशानुसार

07/01/18

जिला स्तर पर योजना का क्रियान्वयन एवं मोनिटरिंग अधिशाषी अभियन्ता (अभियांत्रिकी) द्वारा आवश्यक रूप से किया जावे।

- उक्त योजना का कार्य अधीशाषी अभियंता, अभियांत्रिकी द्वारा ही सम्पादित कराये जाने तथा इन्ही को जिला स्तरीय प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिये गये।

निर्देशानुसार पालना हेतु निर्देशित किया गया।

09/01/18

(हितबल्लभ शर्मा)
परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (मो.एवं मू.)

क्रमांक प. 2(2)ग्रावि/अनु.8/2015

जयपुर, दिनांक: - 9 JAN 2018

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गाँधी नरेगा।
4. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास विभाग।
5. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग।
6. समस्त परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मुख्यालय), ग्रामीण विकास विभाग/महात्मा गाँधी नरेगा।
7. अधीक्षण अभियंता, आईएवाई ग्रामीण विकास विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्युल ग्रामीण विकास।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (समस्त), राजस्थान।
10. अधीशाषी अभियंता(अभि0), जिला परिषद् (समस्त), राजस्थान।
11. प्रोग्रामर, ग्रा0वि0 को अपलोड करने हेतु।

09/01/18

परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (मो.एवं मू.)